सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 29, मंगलवार, शाके 1943–जुलाई 20, 2021 *Asadha 29, Tuesday, Saka 1943- July 20, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

भू - प्रबन्ध विभाग

नियम

जयपुर, जुलाई 9, 2021

राजस्थान सर्वेक्षण नियमावली- भाग-2 (2019)

संख्या फा./29/SCR/DILRMP/2016/2010-2014 :- यह सर्वेक्षण नियमावली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल इंडिया लेंड रिकॉर्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अंतर्गत सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण कार्यों में उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करती है।

प्रस्तावना: - यह सर्वे/रिसर्वे लगभग 100 वर्षों की अवधि के बाद अपनी तरह की सबसे बड़ी कार्यवाही है । उस समय समस्त भूमि का मूल रूप से सर्वेक्षण किया गया था और राजस्थान राज्य में पहली बार किश्तवार नक्शे (Cadastral Maps) तैयार किये गए थे । उस समय सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संक्रियाओं की कार्यवाही को मूल रूप से किसानों से एकत्रित किये जाने वाले भू-राजस्व के सटीक आंकलन के लिए किया जाता था ।

तथापि पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित बड़े बदलाव हुए हैं: -

1. **भूमि अधिक मूल्यवान हो गई है** - स्वतंत्रता के बाद से पिछले 4-5 दशकों में भूमि का मूल्य कई गुना बढ़ गया है। शहरीकरण, औद्योगीकरण और विकास के साथ भूमि का मूल्य, जो उसके वार्षिक लगान का लगभग 10 गुना या उससे भी कम हुआ करता था, भू- राजस्व दरों की तुलना में बढ़कर 1000 से 100,000,00 गुणा हो गया है । वस्तुत: सरकार के लिए आय के स्रोत के रूप में भू-राजस्व का महत्व लगभग नगण्य हो गया है। राजस्थान सहित कई राज्यों में भू-राजस्व के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हैं ।

2. **भू-खसरों का छोटा आकार**- जनसंख्या में वृद्धि और भूमि जोत के बाद के विभाजन के साथ भू-खसरों का औसत आकार काफी कम हो गया है। भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग तेजी से किया गया है जिससे एक ओर भू-खसरों के औसत आकार छोटे हो गये हैं वहीँ दूसरी ओर इसके मूल्य में भी वृद्धि हो गयी हैं ।

3. **प्रौद्योगिकी का विकास-**

   (अ)- परंपरागत रूप से प्लेन टेबल सर्वे, ट्रावर्स, मुरब्बाबंदी पद्धति आदि का उपयोग करके सर्वेक्षण कार्य किया जाता था । इन विधियों में धातु की चैन एवं थियोडोलाइट का उपयोग करके दूरी को मापा जाता था और समकोणीय यंत्रों /गुणिया का उपयोग करके

कोणों को मापा जाता था । इन विधियों में समय, लागत और जनशक्ति के संदर्भ में अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी । इसके साथ ही परम्परागत पद्धत्तियों में मानवीय एवं प्रणालीगत त्रुटियों की भी संभावना थी ।

(ब)- इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट इमेजरी और इन्टरनेट आदि जैसी नई तकनीकों के आगमन से अब 1 से 40 सेमी तक की त्रुटि के साथ बेहतर परिशुद्धता के साथ अत्यधिक सटीक एवं सही मानचित्र बनाना तकनीकी और वित्तीय रूप से कम लागत में संभव हो गया है। आधुनिक नक्शे भू-संदर्भित (Geo-Referenced) हैं और पारंपरिक किश्तवार नक्शों (Cadastral Maps) की तुलना में बहुत अधिक सूचनाएं संधारित करते हैं ।

4. **भूमि का गैर-कृषि उपयोग**:- औद्योगिकी, आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थागत उद्देश्यों आदि के लिए भूमि का उपयोग विकास के साथ ही अधिक ध्यान देने योग्य हो गया है । इस प्रकार इन परिवर्तित भू-खसरा पर नज़र रखना आवश्यक हो गया है । ये भू-खसरे पिछले कृषि जोत क्षेत्र के मुकाबले छोटे आकार के होते हैं ।

यह मानक संचालन प्रक्रिया नये किश्तवार नक़्शे एवं नये अधिकार अभिलेख (RoR) को तैयार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है जो कि सटीक, सही एवं प्रमाणिक हैं। भू-प्रबंध संक्रियाओं ने अपनी अत्यधिक प्रासंगिकता खो दी है क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य भूमि राजस्व के संग्रह के लिए भूमि का लगान निर्धारित करना था। इसके अतिरिक्त भूमि का वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भूमि की डीएलसी दरें मुख्य रूप से भूमि के वर्गीकरण पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा भूमि का वर्गीकरण (जैसे गैर-मुमकिन आबादी, गैर-मुमकिन जंगल, गैर-मुमकिन-उद्योग आदि) भू-खसरे के वर्तमान उपयोग को निर्दिष्ट करता है । इसलिए सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान वर्तमान धरातलीय वास्तविकता के आधार पर भू उपयोग को दर्ज करने की आवश्यकता है।

पारंपरिक सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण का कार्य बहुत सावधानी से और परिश्रम के साथ किया गया था। यद्यपि आज उपलब्ध तकनीकों की तुलना में तब उपयोग में लिए गए यंत्र इतने आधुनिक और सटीक नहीं थे, तथापि गाँव के किश्तवार नक़्शे (Cadastral Maps) काफी वास्तविक थे। पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण दलों को लंबी अवधि के लिए क्षेत्र / गांवों में रहना पड़ता था। भू-प्रबन्ध दल पारम्परिक माप उपकरणों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खसरे का माप करते थे तथा मापने के आंशिक से पूर्ण के सिद्धांत (Part to Whole) अनुरूप उपलब्ध संसाधनों से क्रॉस चैक करते हुए प्रत्येक खसरे की सूचनाओं की पुष्टि की जाती थी। परिणाम स्वरूप नक्शे इतनी सटीकता के साथ तैयार किए गए थे कि पुरानी कंघी प्रकार का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत खसरे के क्षेत्र की गणना बहुत विश्वसनीयता से की जा सकती थी। बड़े गांवों में और उन स्थानों पर जहां भू-भाग ऊँचा-नीचा और टेढ़ा-मेढ़ा था, के अलावा अन्यत्र, भू-अभिलेख में कोई विशेष विसंगति नहीं देखी गयी। फिर भी, विभिन्न कारणों जैसे मानवीय मापन प्रक्रिया, प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे फसलों में थोड़ा परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, वायु क्षरण की वजह से

फसल पद्धति में बदलाव, काश्तकारों एवं सह-काश्तकारों द्वारा भूमि का अनौपचारिक विभाजन, कार्य पद्धतियों में विविधता होना इत्यादि से भू-अभिलेख में अन्तर देखे जा सकते हैं ।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 में पारम्परिक विधियों द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों की विश्वसनीयता और सटीकता को समझने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि वर्तमान अभिलेख को एक अनुमानात्मक अभिलेख माना जाता है। यह अनुमान पुराने किश्तवार नक़्शे (OCM) की तैयारी के विभिन्न चरणों में होने वाली त्रुटियों की संभावना के कारण है। ये त्रुटियां कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्थलाकृति और भौतिक विशेषताएं, उपयोग किए जा रहे उपकरण, मानचित्र का प्रक्षेप, मानचित्र का पैमाना, भू खसरा (पार्सल) के आकार की मैपिंग, क्षेत्रफल गणना, सूची-गणना, आंशिक से संपूर्ण की त्रुटि, एक समय में एक ही गांव का सर्वेक्षण, धरातलीय वास्तविकता में अंतर, मानवीय त्रुटियां आदि । इसलिए जब मौजूदा अभिलेख को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है, तो डिजिटल प्रारूप उन्हीं त्रुटियों को दर्शाता है, परिणामस्वरूप यह धरातलीय वास्तविकता से भिन्न हो सकता है ।

डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम आधुनिक भू स्वत्वाधिकार (Land Title) व्यवस्थाओं के लिये विश्व में प्रचलित निम्नलिखित तीन सिद्धांतों पर आधारित है :-

1. **दर्पण सिद्धांत (Mirror Principle)** - किश्तवार नक्शा और जमाबंदी, धरातलीय वास्तविकता को सटीक और सही रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए ।

2. **पर्दा सिद्धांत (Curtain Principle)** - एक बार जब दर्पण सिद्धांत लागू हो जाता है, तो पिछले भूमि रिकार्ड पर एक पर्दा लागू करना संभव हो जाता है - जिसका अर्थ है कि जमीन के खसरे का वर्तमान स्वामित्व सही और वैध है और खरीददार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तथा पिछले अभिलेख और वर्तमान स्थिति के लिए लेनदेन की शृंखला सही है ।

3. **निर्णयात्मक स्वामित्व (Conclusive Title)** - प्रत्येक भू - स्वामी को स्वामित्व के सही होने की गारंटी दी जाती है और एक भू- धारक को भूमि के स्वामित्व में किसी भी अभिलेखीय त्रुटि के कारण हुई किसी भी हानि के विरुद्ध सुरक्षित किया जाता है ।

DILRMP के तहत सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण संक्रियाएँ दर्पण सिद्धांत **(Mirror Principle)** का अनुपालन आश्वस्त करेगा जो पर्दा सिद्धांत **(Curtain Principle)** एवं **निर्णयात्मक स्वामित्व (Conclusive Title)** की ओर समुचित विधान द्वारा मार्ग प्रशस्त करता है ।

उपग्रह से लिये गये छायाचित्र (सेटेलाइट इमेजरी) पूरी प्रक्रिया में उच्च स्तर की गुणवत्ता लाते है- यह उपग्रह-छायाचित्रों की मदद से नक्शों के पूर्व-पश्च-सत्यापन की स्वीकृति प्रदान करता हैं। इसके द्वारा **डीजीपीएस-आरटीके [DGPS-RTK]** उपकरणों का उपयोग करके तैयार नक्शे की आकृति की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भू-प्रबन्ध आयुक्त से भू-मापक / पटवारी तक पदानुक्रम में किसी भी व्यक्ति के लिए संभव बनाता है। यह आम आदमी या किसान को अपनी भूमि को स्वयं मापने और अपने भू-खसरे की उपग्रह छवि के साथ तैयार नक्शे की तुलना करने में सक्षम बनाता है । वास्तव में एक बार जब किश्तवार (**Cadastral**) की परत उपग्रह इमेजरी (उदाहरण- गूगल मानचित्र

(**Google Maps)** जैसे सॉफ़्टवेयर में) पर अधिरोपित (सुपर इंपोज) की जाती है तो यह अधिकांश काम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर किया जा सकता है ।

परंपरागत रूप से राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 7 के प्रावधानों और राजस्थान भू राजस्व (सर्वेक्षण, अभिलेख और भू-प्रबन्ध) (राजकीय) नियम 1957 के तहत सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाएं की जाती थी। 1991 में जारी की गयी विभागीय नियमावली के अनुसार सर्वेक्षण और भू- प्रबंध संक्रियाएं की गई थी । इसके अलावा समय-समय पर सरकार एवं भू-प्रबंध आयुक्त के द्वारा क्षेत्र में सामने आए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न परिपत्र जारी किए गए थे। आमतौर पर किसी तहसील विशेष में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण कार्यों को करने में 3 से 5 साल लगते थे। एक निश्चित समय में विभाग राजस्थान राज्य भर में लगभग 20 तहसीलों में काम करता था। अमीनों / पटवारियों और निरीक्षकों की एक टीम द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के नेतृत्व एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी की देखरेख एवं निगरानी में यह काम किया गया था।

सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण :-

सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण संचालन प्रथम चरण में राजस्थान के 12 जिलों में 134 तहसीलों में एक साथ किया जाएगा । प्रौद्योगिकी के विकास ने प्रक्रिया को तेज, कम बोझिल, सटीक और पारदर्शी बना दिया है । हालांकि इन संक्रियाओं के तरीके और गति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है तथापि इन प्रक्रियाओं की मौलिक प्रकृति समान है। सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण कार्यों के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया बनाने में भू-प्रबन्ध और सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और अनुबंधित वेंडर्स के साथ बैठकों की एक शृंखला आयोजित की गई थी जिनके साथ प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं पर विचार किया गया है (जैसा कि सूचीबद्ध है अनुलग्नक 'अ')। साथ ही भू-प्रबन्ध विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रायोगिक (पायलट) गांवों में दिशा निर्देशों के प्रारूप और प्रक्रियाओं को परखने की कोशिश की गई है। इन सभी स्रोतों से सूचना एकत्रित करने और प्रायोगिक (पायलट) गांवों में सर्वेक्षण कार्यों के अनुभव और मौजूदा अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, आदेशों और मौजूदा सर्वेक्षण नियमावली का विस्तृत अध्ययन करने के बाद, इनका निष्कर्ष निकाला गया है । इस दस्तावेज़ को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग DILRMP के तहत सर्वेक्षण / पुनःसर्वेक्षण कार्यों को करने के लिए उपयोग में लिया जायेगा ।

इस SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण की प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए प्रक्रिया और चरणों का पालन किया जाकर डिजिटल किश्तवार नक्शा एवं अधिकार अभिलेख (RoRs) तैयार करना है ।

यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) समावेशी और व्यापक है, यह संभव है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ सूक्ष्म बिंदु उभर सकते हैं जिनकी भविष्य में वर्गीकरण की आवश्यकता हो सकती है । ऐसे मामलों में भू-प्रबन्ध अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को अधिनियम, नियम, अधिसूचना, परिपत्र, आदेश एवं सर्वे

नियमावली का उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया जाता है । यदि किसी विषय में और अधिक स्पष्टीकरण और व्याख्या की आवश्यकता हो, तो इसे भू-प्रबन्ध विभाग के कार्यालय में भेजा जावे ।

1. मूल रूप से, सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण कार्यों को करने के लिए कानूनी ढांचा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 7 में धारा 106 से धारा 130 तक प्रदान किया गया है ।

2. यहाँ राजस्थान भू-राजस्व (सर्वेक्षण, अभिलेख और भू-प्रबन्ध) (सरकारी) नियम, 1957 लागू हैं ।

3. यह नियमावली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 109 के तहत तैयार की गई है और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106 के तहत विधिवत अधिसूचित क्षेत्रों में सर्वेक्षण / पुनःसर्वेक्षण और अभिलेख संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान करती है ।

4. प्रासंगिक अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश **अनुलग्नक 'ब'** पर उपलब्ध हैं।

5. व्याख्या: इन दिशानिर्देशों में, जब तक की किसी विषय अथवा संदर्भ में कुछ भी विरोधाभाषी नहीं हो -

क- 'अधिनियम' से अभिप्रेत है राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 ।

ख- 'निदेशक' से अभिप्रेत है राजस्थान के लिए भू-अभिलेख निदेशक (इस दस्तावेज़ के उद्देश्य के लिए भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा पूर्ण शक्तियाँ प्रयोग की जानी हैं) ।

ग- 'अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी' से अभिप्रेत है भू-प्रबन्ध अधिकारी (SO) ।

घ- 'सहायक भू-अभिलेख अधिकारी' से अभिप्रेत है सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (ASO)।

ण- प्रपत्र से अभिप्रेत है कि इन दिशा-निर्देशों के लिए साथ संलग्न प्रपत्र ।

च- 'सरकारी भूमि'- वे भूमियां जहाँ खातेदार राज्य / केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय / बोर्ड / राज्य /केंद्र सरकार का विभाग हैं या अन्य ऐसा संगठन जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य / केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं ।

छ- 'ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क' (GCN)- निदेशक द्वारा निर्धारित विस्तृत तकनीकी निर्देशों के अनुसार तैयार स्थायी सन्दर्भ बिन्दुओं से युक्त एक ड्राफ्ट नेटवर्क योजना जो उपग्रह / हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त छायाचित्रों को भू-संदर्भित (Geo- Reference) करने के काम में लिया जायेगा ।

ज- "ग्राउंड कण्ट्रोल पॉइंट्स (GCP)"- निदेशक द्वारा निर्धारित विस्तृत तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ग्राउंड कण्ट्रोल नेटवर्क के अनुसार स्थायी सन्दर्भ बिंदु स्थापित किये जायेंगे ।

झ- 'यू टी एम' - यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन ।

ञ- 'सर्वेक्षण' से अभिप्रेत है आधुनिक तकनीकी विधियों का उपयोग करके भूमि का सर्वेक्षण और इसमें पुनः सर्वेक्षण शामिल होगा ।

ट- 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की प्रासंगिक धारा ।

ठ- 'DGPS-PPK' से अभिप्रेत है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमैटिक्स ।

ड- 'DGPS-RTK' से अभिप्रेत है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-रियल टाइम काइनेमैटिक्स।

ढ- 'ETS' से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ।

ण- 'ORI' (ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी) से अभिप्रेत है संसाधित (Processed) और हाई रिज़ॉल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी से प्राप्त ऑर्थो- रेक्टिफाइड छवि या इन दिशा निर्देशों में उल्लेखित किसी अन्य आधुनिक तरीके से प्राप्त ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी ।

त- 'चलता नम्बर' से अभिप्रेत है अस्थाई (खसरा) नंबर जो की किश्तवार नक्शों की तैयारी के समय आकृति (polygon) में दर्ज किया जायेगा।

थ- यूपीआईएन (स्थायी खसरा नंबर / मुरब्बा नंबर) - यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ।

द- 'नियम' से अभिप्रेत है राजस्थान भू राजस्व (सर्वेक्षण, अभिलेख और भू-प्रबंध) (राजकीय) नियम 1957 में एक विशेष नियम को संदर्भित करता है ।

ध- 'RFP' (Request for Proposal) से तात्पर्य डीआईएलआरएमपी के तहत सर्वेक्षण पुनःसर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए निदेशक द्वारा जारी किये गए प्रस्तावों के लिए है ।

ग्राम स्तरीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- सहायक भू- अभिलेख अधिकारी
- तहसीलदार / नायब-तहसीलदार
- भू-मापक / निरीक्षक
- हलका पटवारी / हल्का गिरदावर
- सरपंच / वार्डपंच
- सचिव, ग्राम पंचायत
- तहसीलदार द्वारा मनोनीत गाँव के दो सदस्य

6. ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट नेटवर्क की स्थापना :

(क)- ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स (GCPs) पूर्व के बाई-जंक्शन / ट्राई-जंक्शन पॉइंट्स के विकल्प हैं । इन्हें उपग्रह से प्राप्त स्टीरियो (Stereo) छवियों/ तस्वीरों के फोटोग्रेमेट्रिक ब्लॉक एडजस्टमेंट (Photogrammetric Bundle Adjustment) के लिए स्थापित किया जाना आवश्यक है । यह आरएफपी में दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए । एक ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क जिसमें आइकॉनिक, सब-आइकॉनिक, प्राथमिक (Primary), द्वितीयक (Secondary), तृतीयक (Tertiary) और सहायक (Auxillary) ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट शामिल हैं, को RFP में प्रदान किये गए विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों एवं निदेशक द्वारा प्रदान किये गए निर्देशों के अनुसार जिन जिलों में सर्वे/ रिसर्वे की कार्यवाही की जानी है, उनमें स्थापित किया जायेगा ।

(ख)- प्राइमरी एवं सेकेंडरी GCPs का स्थायी महत्व है और इसलिए तदनुसार इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है । ये पूर्व निर्मित आरसीसी स्तंभों के आकार में स्थापित किये जायेंगे । इन्हें बेहतर संरक्षण के लिए जहाँ तक हो सरकारी परिसर में स्थापित करने की आवश्यकता है । चयनित स्थान खुले आकाश के नीचे होनी चाहिए, माइक्रोवेव उत्सर्जक टॉवरों, उच्च तनाव बिजली लाइनों से रहित, विद्युत सब स्टेशन, टावर्स से निकलने वाले माइक्रोवेव, ऊंची दीवारें या पेड़ या कोई अन्य अवरोध आदि, जो जीपीएस सिग्नल के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं ।

(ग)- जमीनी स्तर पर राजस्व क्षेत्र अधिकारी (भू-मापक / पटवारी / भू अभिलेक निरीक्षक / तहसीलदार / उपखण्ड अधिकारियों) को GCPs के महत्व, उपयोग प्रस्तुति और रखरखाव

के साथ खुद को परिचित करना होगा। भविष्य में उनके उचित संरक्षण और रखरखाव के लिए स्थानीय लोगों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। इन GCPs के किसी भी अव्यवस्था या क्षति के मामले में, उसी को तुरंत वापस लगाने की आवश्यकता होगी ।

7. सभी किश्तवार नक़्शे भू-संदर्भित (Geo-referenced) होंगे और एक सामान्य प्रक्षेपण प्रणाली (Projection System) का उपयोग कर के तैयार किए जाएंगे जो राजस्थान राज्य के लिए यूटीम प्रोजेक्शन (UTM Projection) होगा।

8. प्रौद्योगिकी विकल्प:

(क) सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण कार्य (निदेशक द्वारा अधिसूचित तकनीकी विवरण के अनुसार) के लिए तीन प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध हैं:-

(i). डीजीपीएस-पीपीके (DGPS-PPK) / डीजीपीएस-आरटीके (DGPS-RTK) / ईटीएस (ETS) प्रणाली का उपयोग करके भूमि के प्रत्येक पार्सल का सर्वेक्षण।

(ii). HRSI और ग्राउंड-ट्रूथिंग सिस्टम डीजीपीएस-आरटीके (DGPS-RTK) / डीजीपीएस-पीपीके (DGPS-PPK) / ईटीएस (ETS) प्रणाली का उपयोग करते हुए- इस विधि के माध्यम से, HRSI का उपयोग करके नए किश्तवार नक्शा तैयार किए जाएंगे और फिर DGPS-RTK / DGPS-PPK / का उपयोग करके जमीन पर सटीकता और शुद्धता के लिए सत्यापित किया जाएगा ।

(iii). डीजीपीएस-आरटीके (DGPS-RTK) / डीजीपीएस-पीपीके (DGPS-PPK) / ईटीएस (ETS) सिस्टम का उपयोग करते हुए एरियल सर्वे और ग्राउंड-ट्रूथिंग सिस्टम- इस पद्धति के माध्यम से, भूमि के हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त छायाचित्रों का उपयोग कर के नए किश्तवार नक्शा/मानचित्र तैयार किए जाएंगे और फिर धरातल पर सटीकता और शुद्धता जाँचने के लिए डीजीपीएस-आरटीके (DGPS-RTK) / डीजीपीएस-पीपीके (DGPS-PPK) / ईटीएस (ETS) प्रणाली का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा ।

(ख)- राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उपरोक्त विधियों में किसी एक या इनके संयोजन का उपयोग करके किया जाएगा।

9. माप की इकाई : सभी सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण कार्य मेट्रिक प्रणाली के अनुसार किए जाएंगे ।

10. नक़्शे का पैमाना :

(क)- सभी मानचित्र 1:4000 के पैमाने पर तैयार किए जायेंगे, जब तक कि अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी उन मामलों में एक अलग पैमाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है, जहाँ भू- खसरे का आकार बहुत छोटा होने के कारण 1:4000 के पैमाने पर ठीक से नहीं देखा जा सकता हो ।

(ख)- गांवों के आबादी एवं शहरी क्षेत्रों के नक्शे 1: 1000 के पैमाने पर तैयार किए जाएंगे ।

(ग)- प्रत्येक लैंड पार्सल स्केच का पैमाना ए-4 साइज के पेपर में फिट होना चाहिए और यह 50 के अगले पैमाने पर होना चाहिए ।

11. असर्वेक्षित क्षेत्र :- सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान यदि किसी भी तरह के असर्वेक्षित क्षेत्रों का पता चलता है तो उन्हे भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16-ए एवं 16-बी के प्रावधानों के अंतर्गत समीपवर्ती ग्राम से जोड़ा जा सकता है या फिर नया राजस्व ग्राम बनाया जा सकता है तथापि भूमि के स्वामित्व का निर्धारण भू- प्रबंध कार्यवाही से नहीं किया जा सकेगा ।

12. सर्वेक्षण पूर्व की गतिविधियाँ : जिला / तहसील / राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण/ पुन: सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेखन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व निम्नांकित सर्वेक्षण के पूर्व की गतिविधियां पूर्ण की जानी चाहिए :-

(1). यह भू-अभिलेखन प्रक्रियाएं पहले चरण में मुख्य रूप से उन तहसीलों में की जाएंगी जिन्हें राजस्थान भू- राजस्व (भू- अभिलेखन) नियम, 1957 के नियम 169-H के तहत ऑनलाइन अधिसूचित किया गया है एवं भू-नक़्शा और ई-धरती वेब पोर्टल पर जमाबंदी और नक़्शे अपलोड किए गए हों और जहाँ पर जमाबंदी और नक़्शे की वन-टू-वन मैपिंग पूरी कर दी गयी हो ।

(2). भू-प्रबंध की कार्यवाही शुरू होने से पहले संबंधित तहसीलदार जमाबंदी और OCM की एक प्रमाणित प्रति सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा । संबंधित तहसील के तहसीलदार तहसील के सभी गावों में निम्नलिखित सुनिश्चित करने के बाद फॉर्म 3 में एक प्रमाण पत्र सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को जारी करेगा :-

i. सभी लंबित नामांतरणों का निर्णय ले लिया गया है और उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है ।

ii. सभी मृतक खातेदारों के उत्तराधिकार नामांतरण खोल दिये गए हैं ।

iii. न्यायालयों की सभी डिक्री आदेशों को निष्पादित करने के लिए लंबित नामांतरणों का निर्णय लिया गया है ।

iv. सभी बची हुई तरमीमों का निष्पादन कर ऑनलाइन नक्शों में अपलोड कर दिया गया है।

v. अधिनियम की धारा 136 के तहत सभी मामलों के या तो निर्णय कर लिए गए हैं या फिर सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिये गए हैं ।

vi. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48/49 के अंतर्गत आ रहे सभी मामलों पर निर्णय कर लिया गया है एवं परिणामस्वरूप नामांतरणों का निर्णय ले लिया गया है ।

vii. OCM मानचित्रों की अनुपलब्धता होने के कारण जो ग्राम ऑनलाइन अधिसूचित नहीं हुए हैं, उन ग्रामों में नये सिरे से (डी-नोवो) सर्वेक्षण करवाया जाएगा ।

यद्यपि, फॉर्म न. 3 में किश्तवार नक्शों (Cadastral Maps) और जमाबंदी में सभी तरमीमें पूरी होने के दृष्टि से भूमि धारक (तहसीलदार) से भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है जिससे सही मायने में वर्तमान स्थिति का पता चले। क्षेत्र में सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण की प्रक्रिया करते समय टीम को ऐसे कुछ परिवर्तनों / अंतर का पता चल सकता है

जो की वर्तमान पुराने किश्तवार नक्शों और जमाबंदी में शामिल नहीं हैं । इस कारण से क्षेत्र में वास्तव में पाये गए खसरे (पॉलिगन) की संख्या सही मायनों में भूमि की वास्तविकता को दर्शाएंगे, जो कि पुराने किश्तवार नक्शों (Cadastral Maps) और जमाबंदी में खसरे (पॉलिगन) की संख्या से भिन्न हो सकते हैं । ऐसे सभी बदलाव समुचित कारणों के साथ दर्ज किये जाएंगे ।

तहसीलदार द्वारा फॉर्म 3 में जारी प्रमाण पत्र में अंतिम नामांतरण की संख्या एवं दिनांक आवश्यक रूप से दर्ज होनी चाहिए । जिन गावों में सर्वेक्षण / पुन: सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है वहाँ पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण निष्पादित करने का कार्य साथ-साथ ही किया जाएगा । इस प्रकार ऐसे सभी परिवर्तनों को अभिलेखों को अंतिम रूप देने से पहले शामिल किया जाएगा । फॉर्म 3 में उल्लेखित अंतिम नामांतरण संख्या से यह सुनिश्चित होगा कि सभी परिवर्तनों को अभिलेख में सही रूप से दर्शाया गया हैं ।

(3) अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी आवंटित गावों में सर्वेक्षण/ पुनःसर्वेक्षण की प्रक्रिया के संचालन एवं निष्पादन और जमाबंदी की तैयारी के लिए भू-मापकों / पटवारियों और निरीक्षकों की ग्रामवार और तिथि वार जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करेंगे । सर्वेक्षण एजेन्सी के सहयोग हेतु राजस्व क्षेत्र के अधिकारियों को भी शामिल किया जायेगा । अन्य सरकारी विभागों के स्वामित्व में भूमि के स्थानीय अधिकरियों को सर्वेक्षण प्रक्रिया चालू होने की सूचना पूर्व में ही दी जानी जायेगी। सर्वेक्षण दल के दौरे की विस्तृत सूचना भूमि के स्वामित्व वाले विभागों के प्रमुखों के बीच प्रसारित की जाएगी, जिससे कि संबन्धित विभागों के अधिकारी अपने विभागों के स्वामित्व वाले भूमि खसरों की सीमाओं की पहचान में सर्वेक्षण एजेन्सी का सहयोग कर सकते हैं।

(4) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण/ पुन: सर्वेक्षण के संचालन के लिए प्रत्येक जिले में वांछित हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / श्रमशक्ति (संदर्भ:- RFP बिन्दु संख्या अनुलग्नक 5.2.2.12 से 5.2.2.17) उपलब्ध हो। प्रत्येक सर्वे टीम में स्थानीय क्षेत्र भाषा में दक्ष पर्याप्त फील्ड एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों की संख्या होगी।

(5) सर्वेक्षण/ पुनःसर्वेक्षण कार्यों के प्रारंभ से पहले, इन कार्यों के संचालन के दौरान और बाद में राजस्व विभाग, भू- प्रबंध विभाग और अनुबंधित कंपनियों के बीच सूचना के सुचारू एवं व्यवस्थित आदान-प्रदान के लिए निम्नलिखित मानचित्रों की प्रमाणित प्रतियाँ क्रमबद्ध तरीके से अभिलेख में रखी जाएँगी । ऐसे सभी मानचित्र सभी GCPs (P/S/T/A) को दर्शाएंगें। निम्नलिखित मानचित्र सर्वेक्षण/ पुनःसर्वेक्षण संचालन एवं भविष्य में अभिलेख के सन्दर्भ के लिए तैयार, प्रमाणित और सावधानीपूर्वक रखे जायेंगें ।

नक्शों की सूची:

(क) ORI + नई ग्राम सीमा + OCM + RTK- पाईन्ट्स।

(ख) OCM- डिजिटल और अद्यतित

(ग) VLPM (चलता नं / TKN के साथ)

(घ) ORI + VLPM

(ड०) ORI + VLPM + OCM

(च) ORI + NCM

(छ) ORI + NCM + OCM

13. **सर्वेक्षण और अभिलेख लेखन के प्रचार के लिए उद्घोषणाएं :** अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी धारा 110 (1) के तहत फॉर्म न. 1 एवं धारा 110(2) के तहत फॉर्म न. 2 में उद्घोषणाएं जारी करेंगें, जो की हिंदी भाषा में कम से कम एक प्रतिष्ठित एवं व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगें ।

14. **प्रत्येक राजस्व ग्राम में आयोजित की जाने वाली ग्राम स्तरीय बैठकें :** भू-अभिलेख अधिकारी धारा 110 के तहत घोषणा के बाद प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम स्तरीय समिति की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करेगा ।

ग्रामीणों को सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण कार्य के लिए अपनायी जाने वाली नई कार्य प्रणाली, उन पर इस कार्य के प्रभाव और इन कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए उनसे अपेक्षित सहयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी । ग्रामीणों को इन कार्यों को शुरू करने से पहले वन-टू-वन मैपिंग (One to One Mapping) के बारे में सभी पहलुओं से अवगत कराया जाएगा । ग्रामीणों को सर्वेक्षण के कार्यक्रम की जानकारी की सूचना पहले से ही दी जायेगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि सम्बंधित काश्तकार प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो । पर्याप्त प्रचार- प्रसार एवं संवेदीकरण इस पूरी योजना की सफलता की कुंजी है ।

ये सभी कार्यवाहियां एक रजिस्टर जो केवल इसी उद्देश्य के लिए रखा जाएगा, में गाँव के प्रतिभागियों, ग्राम स्तरीय समिति के सदस्यों, पीआरआई के सदस्यों, सर्वे एजेंसी के कार्मिकों के हस्ताक्षरों के साथ दर्ज की जाएगी । क्षेत्र में सर्वेक्षण गतिविधियों के सही भूमि अभिलेख तैयार करने के लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, इसलिए आम जनता के बीच अपना विश्वास और समर्थन हासिल करने के लिए इन सर्वेक्षण कार्यों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ।

15. **ओआरआई (Ortho Rectified Imagery) को तैयार करना :-** उपर्युक्त वर्णित तकनीकों से प्राप्त इमेजरी को संसाधित (Processed) कर ओर्थो रेक्टिफाइड इमेज (ORI) तैयार की जाएगी । प्रयोगशाला में फोटोग्रेमेट्रिक ब्लॉक एडजस्टमेंट प्रक्रिया (Photogrammetric Block Adjustment Process) का उपयोग करके अनिर्मित छवि (Raw Image) को ओर्थो रेक्टिफाइड छायाचित्रों (Ortho Rectified Imagery) में परिवर्तित किया जायेगा जिससे की उसे (Raw Image को) सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त बनाया जा सके क्योंकि अनिर्मित छवि (Raw Image) में पृथ्वी की ऊँची- नीची सतह के कारण जो त्रुटियाँ होती हैं उसे फोटोग्रेमेट्रिक ब्लॉक एडजस्टमेंट (Photogrammetric Block Adjustment) का उपयोग करके हटा दिया जाता है । प्रयोगशाला में फोटोग्रेमेट्रिक ब्लॉक एडजस्टमेंट (Photogrammetric Block Adjustment) स्टीरियो (Stereo) छवि { भूमि पार्सल (खसरे) के दो अलग- अलग देखने के कोणों से ली गयी तस्वीर } एवं ग्राउंड कण्ट्रोल पॉइंट्स (GCPs) का उपयोग कर डिजिटल एलिवेशन मॉडल (Digital Elevation Model) और ओर्थो रेक्टिफाईड इमेज (Ortho Rectified Image) तैयार की जाती है । ओर्थो रेक्टिफाईड इमेज (Ortho Rectified Image) इस प्रकार डिजिटल रूप से परिशोधित (Digitally Rectified

Photographs) एवं संशोधित की हुई होती है जिससे भूमि की वास्तविकता उसके पैमाने, आकार एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में सही तरीके से प्रतिबिंबित होती है ।

16. जिला / तहसील / ग्राम सीमा धरातलीय वास्तविकता भू खसरा नक्शा का निर्धारण (आरएफपी अनुसूची-।। के अनुसार) :-

(1) पुराने किश्तवार नक्शा (OCM) के डिजिटल प्रारूप वाली ग्राम सीमाएं ओआरआई पर अधिरोपित (Superimposed) की जाएंगी ।

(2) जब ग्राम स्तरीय समिति की उपस्थिति में ग्राम स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाता है, तो ग्राम सीमा सत्यापन की निर्धारित तिथि घोषित की जाएगी । यह निर्धारित तिथि सभी सीमावर्ती गावों के खातेदारों, निवासियों को प्रचारित/ संप्रेषित की जायेगी जिससे कि सभी हित धारकों से अपेक्षित सहयोग एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, गाँव की सीमा सत्यापन (Ground Truthing) के समय को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, तो नयी तारीख को भी प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सीमा सत्यापन (Ground Truthing) प्रक्रिया के दौरान पूरी गाँव की सीमा का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाये । वर्तमान में मौजूद सीमा स्तंभों का पता लगाने, उसके निर्देशांक अभिलेख करने और सभी त्रिपटों (Tri-Junctions) एवं सीमा पर मौजूद अन्य सभी महत्वपूर्ण भौतिक आकृतियों के निर्देशांक अभिलेख करने के लिए गावं की सीमा पर DGPS-RTK द्वारा ट्रावर्स किया जाएगा ।

(3) निर्बाध (Seamless) भू-खसरे नक़्शे तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक भूमि पार्सल में सम्पूर्ण जिले की खसरा विशेषताओं की जानकारी दर्ज की जाएगी ।

(4) अग्रिम डिजिटाइजेशन द्वारा ओआरआई से ली गई 2 डी विशेषताओं को आरएफपी क्लॉज 5.2.2.9 में उल्लेखित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार बनाया जाएगा और RFP में अनुलग्नक - II "फीचर लेयर्स की सूची" में उल्लेखित विस्तृत आवश्यकताओं के अनुसार फीचर लेयर तैयार की जाएगी । ऐसी संरचनाएं (फीचर्स) जो दिखाई नहीं देती हैं या अस्पष्ट हैं, उन्हें ग्राउंड सर्वे की विधियों (DGPS) से लिया (Capture) जाएगा और बाद में डिजिटाईज्ड़ डाटा के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(5) जहाँ तक संभव हो, गाँव की सीमा को पहले से मौजूद भौतिक आकृतियों के साथ ही लिया जावें । पूर्व में मौजूद सीमा रेखा में छोटे बदलावों (Departures) को पहले से मौजूद भौतिक विशेषताओं के साथ संरेखित (Align) करने हेतु माना जाएगा ।

जहाँ भी गाँव की सीमा पर सरकारी भूमि है और वहाँ यह पाया जाता है कि इस तरह की सरकारी भूमि पर पड़ोसी खातेदार/काश्तकार या किसी अन्य के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी भौतिक विशेषता (निशान) दिखाई नहीं देती है, यह सुनिश्चित करते हुए की सरकारी भूमि नक्शे में स्पष्ट रूप से सीमांकित है, गाँव की सीमा का निर्धारण भौतिक विशेषता (निशान) के बिना भी किया जाएगा ।

(6) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गाँव की सीमा के निर्धारण से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए ।

(7) नए गाँव की सीमाओं से गणना किए गए क्षेत्रफल पहले से गणना किए गए गाँव के क्षेत्रफल से भिन्न हो सकते हैं ।

(8) जहाँ पर काश्तकारों (खातेदारों) के पास आस-पास के गाँवों की सीमा पर कृषि भूमि होती है और यदि दोनों खसरों को वास्तविक रूप से एक जैसा मानकर खेती की जाती है जहां पर भूमि का सीमांकन करने हेतु कोई भौतिक संरचना (निशान) नहीं होती, कृषि योग्य भूमि को खातेदार की सुविधा अनुसार किसी भी गांव में समायोजित की जायेगी एवं गाँव की सीमा का समायोजन भी इसी अनुरूप किया जावेगा ताकि कृषि भूमि में ज़्यादा बदलाव ना हो ।

(9) यह संभव है कि किसी गाँव की सीमा का निर्धारण करते समय समीपवर्ती गाँवों की सीमाओं में गैप या ओवरलैप्स हो सकते हैं । ऐसे मामलों को E.T.S./ D.G.P.S का उपयोग करके निर्देशांक डेटा प्राप्त करने के बाद संबंधित भू-मापक / पटवारी द्वारा स्वामियों / खातेदारों / ग्रामीणों की उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 के नियमों को ध्यान में रखते हुए संबंधित भूमि की सीमा की पहचान कर उसका समाधान किया जाएगा ।

(10) भू-अभिलेख निदेशक गाँव की सीमा के निर्धारण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई भी अन्य विशिष्ट मुद्दों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा ।

17. ग्राम भूमि खसरा नक्शा (VLPM) तैयार करना और चलता नम्बर का निर्धारण : गाँव की सीमा क्षेत्र के अंदर भूमि के पार्सल के नक़्शे तैयार किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए दिखाई देने वाली मेड़ों और भौतिक निशानों के आधार पर पॉलिगन / भूमि पार्सल (खसरा) बनाने के लिए रेखाएं खींची जाएंगी और प्रत्येक खसरे (पॉलिगन) / भूमि पार्सल (खसरा) को अलग-अलग चलता नम्बर दिया जाएगा ।

18. ग्राम सीमा का भू-सर्वेक्षण, ग्राम भू-खसरा नक्शा एवं कब्ज़ा, भूमि वर्गीकरण और सिंचाई के स्रोतों का अभिलेखन :-

(1) डीजीपीएस- आरटीके (DGPS-RTK) का उपयोग करके ग्राम सीमाओं की ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing) की जाएगी । गाँव की सीमा के अंदर के नक्शे के किसी भी हिस्से के लिए, जहाँ उपग्रह छायाचित्र पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है और भौतिक संरचनाएं (निशानात) स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ DGPS-RTK का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाएगा ।

(2) यदि ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing) सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई नयी भौतिक सीमा रेखा पाई जाती है, तो खसरे (पॉलिगन) को उप-विभाजित किया जा सकता है और वीएलपीएम को और अधिक सरल करने के लिए इन खसरों को चलता नम्बर दिया जा सकेगा ।

(3) फॉर्म 4 में निर्धारित एक रजिस्टर,प्रत्येक खसरे (पॉलिगन) के लिए भूमि वर्गीकरण और सिंचाई के स्रोत (यदि कोई हो) को अभिलेखित करने के लिए तैयार किया जाएगा । कृषक / खातेदार के आधार और मोबाइल नंबर और किसी भी अन्य आवश्यक जानकारी को भी

दर्ज करना होगा । फॉर्म नं 4 सत्यापित किया जाएगा और उस पर अमीन / पटवारी और निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें ।

19. ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing) की प्रक्रिया के बाद पूरे जिले के लिए गाँव की सीमा और खसरे को वर्क स्टेशन पर लॉक (Lock) करने की आवश्यकता है और साथ ही एक सार्वजनिक अस्वीकरण (Disclaimer) को विधिवत् प्रकाशित करना होगा ताकि ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing) को दर्शाने वाले डेटा से छेड़छाड़ होने की कोई संभावना ना रहे । ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing) के दौरान पाए जाने वाले ओवरलैपिंग / गैप / निर्बाध किनारा विचलन (Seamless Edge Deviation) के किसी भी मामले को हल करने के लिए आरएफपी बिंदु संख्या 5.2.2.9 से 5.2.2.11 में दिये गये तकनीकी मापदण्ड का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

20. नवीन ग्राम भू-खसरा नक्शा और अधिकार अभिलेख (RoR) तैयार करना और ड्राफ्ट/ अंतिम भू-खसरा नोटिस, निर्णय (adjudication) और घोषणा (promulgation) (RFP अनुसूची III) :-

(1). पुराने किश्तवार नक्शों (Cadastral Maps) को नवीन ग्रामीण भू-खसरा नक्शा पर अधिरोपित (सुपरइम्पोज) किया जायेगा । अधिरोपन के द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग के संशोधन पश्चात् पार्सल लाइन 1, 2 और 3 को निम्नानुसार बनाया जाना संभव होगा :-

अ) पार्सल 1: पुख्ता रेखाएँ :- वे सभी लाइनें जो जमीन पर मौजूद है और ORI पर देखी गई मौजूद फील्ड सीमाओं के साथ अधिकतम मेल खाती है । RFP अनुलग्नक II पार्सल सीमा के अनुसार ।

ब) पार्सल 2: चैन रेखाएँ (डैश-डॉट-डैश) (_._._.) :- वे सभी लाइनें जो नक़्शे में दर्शाया जाना आवश्यक है जिनका उद्देश्य क़ानूनी तौर पर सीमाओं के स्वामित्व से है हालांकि उन रेखाओं के साथ कोई भी भौतिक विशेषता (निशान) मौजूद नहीं है ।

स) पार्सल 3: डैश रेखाएँ (------) :- वे सभी रेखाएँ जो किसी भू-खसरे को दर्शाती नहीं है किन्तु मौक़े पर स्थित भौतिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती है जैसे रास्ते/ हाईटेंशन लाइन/ सड़क मार्ग/ नाला/ नदी/ गैस और पानी की पाइपलाइन आदि जो इन श्रेणियों के लिए विशिष्ट प्रतीकों द्वारा नक्शे में दर्शायी जाएगी ।

(2). फार्म (प्रपत्र) 4 में संकलित जानकारी की तुलना उपर्युक्त सुपरइम्पोज्ड नक़्शे के साथ की जाएगी और नये किश्तवार नक्शे और अधिकार अभिलेख (RoR) को तैयार करने के लिए मौजूदा जमाबंदी के साथ पढ़ा जाएगा । इस अभ्यास में दर्पण सिद्धान्त का पालन स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा :-

(i). उन सभी मामलो में जहाँ किसी अन्य गाँव के एक भूमि पार्सल (खसरा) या भूमि पार्सल (खसरा) का एक समूह संबन्धित गांव की सीमा के अंदर स्थित है, ऐसे द्वीप (ISLAND) भूमि पार्सल (खसरों) को उस गांव के अधिकार अभिलेख (ROR) में शामिल किया जाएगा जहां यह सर्वे/रिसर्वे कार्य किया जा रहा है ।

(ii). यदि रास्तों में कोई भी बदलाव देखा जाता है और मौजूदा मार्ग का उपयोग वास्तव में लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो इसे नक्शे मे तभी दर्शाया जाएगा, जब यह

किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ या हानि की स्थिति पैदा न करता हो ।

जहां भी नए सार्वजनिक रास्ते पाए जाते हैं जो वास्तव में ग्रामीणों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, ऐसे सभी नए मार्गों को एक अलग भूमि खसरा संख्या दिया जाएगा और इसे शासकीय भूमि (सिवायचक) के रूप में दर्ज किया जाएगा ।

(iii). किसी एक लेंड पार्सल (ख़सरा) / सम्पूर्ण स्वामित्व के नंबरों के क्षेत्रफल में आ रहे अंतर को नज़रअंदाज़ किया जायेगा, यदि खाते का सम्पूर्ण क्षेत्रफल कमोबेश वही हो जहाँ खाते के सभी खसरे (पॉलिगन) या तो साथ लगे हुए हो या फिर समीपवर्ती हो।

(iv). यदि किसी लेंड पार्सल खसरे (पॉलिगन) / खाते के क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले खसरे (पॉलिगन) हैं तो यह सत्यापित किया जाएगा कि पड़ोसी सरकारी भूमि या कृषक (खातेदार) की भूमि पर कोई अतिक्रमण तो नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं देखा जाता है (अर्थात् समीपवर्ती सरकारी भूमि का क्षेत्रफल और खातेदार की भूमि का क्षेत्रफल पूर्व के अनुरूप ही हैं), तो भूमि, व्यक्ति के कब्जे के अनुसार उसके खेत में बिन्दु संख्या 23 में अंकित प्रावधान के अनुसार दर्ज की जाएगी ।

(3). आवंटित भूमि : भूमि के आवंटन के मामलों में विभिन्न कारणों से भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं ।

(i). भूमि को जमाबंदी (ROR) में वर्णित क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित किया गया है, लेकिन भौतिक रूप से उपलब्ध वास्तविक भूमि के अनुसार नहीं - ऐसे मामलों में क्षेत्रफल को जमीनी वास्तविकता के अनुसार दर्ज किया जाएगा । यदि उपलब्ध भूमि आरओआर में उल्लेखित क्षेत्रफल से कम है, तो ऐसे मामलों में आवंटियों को प्रतिनिधित्व करने और सुनने का अवसर दिया जाएगा और फिर सहायक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी वास्तविक धारित स्थिति के अनुसार जमाबंदी में क्षेत्रफल को कम कर सकता है। जबकि, ऐसे मामले जहां उपलब्ध क्षेत्रफल जमाबंदी (ROR) के अनुसार आवंटित क्षेत्रफल से अधिक है, अतिरिक्त भूमि के लिए एक अलग पार्सल बनाया जाएगा और इसे शासकीय भूमि (सिवायचक) के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(ii). ROR के अनुसार आवंटन किया गया है लेकिन कोई भी भूमि भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है :- यह संभव है कि कुछ मानव त्रुटि के कारण आर.ओ.आर में गलत क्षेत्र का उल्लेख किया गया हो । ऐसे सभी मामलों की एक सूची सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी / अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी और मामलों को जिला कलेक्टर को नियत कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाएगा जो की राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 नियम 14 (4) के अनुसार किया जाएगा ।

(iii). यदि एक कृषक खातेदार, को OCM में एक विशेष भू-खसरा संख्या में भूमि आवंटित की गई थी, परंतु वह स्वीकृत मूल आवंटित भूमि के मूल टुकड़े पर न होकर उसी गांव के अन्य भूमि के अलग खसरे के कब्जे में है, ऐसे में अलग-अलग संभावनाएं हो सकती हैं जैसे कि :-

(क) यदि वर्तमान में उसके कब्जे वाली भूमि सरकारी भूमि (सिवायचक) है, तो वर्तमान में उसके वास्तविक कब्जे वाली भूमि को मूल रूप से आवंटित क्षेत्रफल के हिसाब से उसके नाम पर दर्ज की जाएगी । सहायक भू-अभिलेख अधिकारी ऐसे सभी मामलों को संक्षिप्त जांच करते हुए तय करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके कब्जे वाली भूमि, राजस्थान भू राजस्व काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

(ख) यदि वर्तमान में उसके कब्जे वाली भूमि निषिद्ध / पूर्व सैनिकों के कृषकों की है, तो ऐसे सभी मामलों की सूची सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा सत्यापित करते हुए जिला कलेक्टर को राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अनुसार उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तावित की जाएगी ।

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच के दौरान कानून की उचित प्रक्रिया का पालन कर यह सुनिश्चित कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि खातेदार जो मूल रूप से आवंटित भू-खसरे पर काबिज ना होकर, भूमि के अलग (अन्य) खसरे पर काबिज पाए जाते है, और जो वर्तमान में मूल आवंटित भू-खसरे पर मौजूद है । गाँव में ऐसे सभी आवंटित मामलों की सूची, जहाँ कोई भिन्नता पाई जाती है, सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और निर्णय के लिए अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) आबादी भूमि: जमीनी सत्यता के दौरान अगर यह पाया जाता है कि कृषि भूमि पर कोई भी गैर कानूनी आबादी विकसित की गई है, तो ऐसे सभी क्षेत्रों को अलग खसरे के साथ अलग खसरा नंबर के साथ सीमांकित किया जाएगा । हालाँकि, भूमि वर्गीकरण पिछले भू-प्रबन्ध के अनुसार दर्ज किया जाएगा और इसे अबादी के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा। यह उस भू खसरे से संबंधित टिप्पणियों में अनधिकृत आबादी के रूप में दर्ज किया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस अनधिकृत आबादी के कब्जे / कब्जे की समयावधि से संबंधित कोई टिप्पणी रिकॉर्ड पर नहीं ली जाए ।

सहायक भू-अभिलेख अधिकारी यह पता लगाने के लिए एक सारांश जांच करेगा कि क्या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी आबादी को मंजूरी दी गई है । यदि सहायक दस्तावेज वैध पाए जाते हैं, तो भूमि का वर्गीकरण आबादी के रूप में दर्ज किया जाएगा । अगर इस तरह की अधिकृत आबादी को पहले से मौजूद आबादी से सटे हुए पाया जाता है तो इस नयी आबादी को अलग खसरा नंबर के साथ सीमांकित नहीं किया जाएगा । परन्तु उन मामलों में जहां पहले से मौजूद आबादी से नव विकसित आबादी काफी दूरी पर पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में उसे एक अलग खसरा नंबर दिया जाएगा ।

अनधिकृत आबादी का अभिलेख अंकन करते समय स्वामित्व भूमि पर 1/50 भाग या कृषि भूमि पर 500 वर्ग गज के आवासीय आवास बनाने के वर्तमान प्रावधानों का पालन किया जाएगा ।

(5) यदि दो काश्तकार खातेदारों ने अनौपचारिक रूप से भूमि का आदान-प्रदान (विनिमय) किया है, तो इन्हें राजस्थान भूमि अधिनियम, 1955 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा नियमित किया जाएगा ।

(6) यदि तरमीम की प्रक्रिया के समय पुराने किश्तवार नक्शे (OCM) को अपडेट करते समय यह पाया जाता है कि पटवारी द्वारा कोई गलती की गई है तो धरातलीय वास्तविकता के अनुसार नया अभिलेख तैयार किया जायगा ।

(7) यदि कार्य करते समय पुराने अधिकार अभिलेख (RoR) या पुराने नक्शे में लिपिकीय त्रुटियों का पता लगाया जाता है, तो स्वत: संज्ञान (Suo-Moto) या कृषक के आवेदन पर, इन्हें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा सही किया जाएगा ।

(8) सरकारी भूमि का सर्वेक्षण RFP के बिन्दु 5.2.3.8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (इस नियमावली के बिंदु संख्या 23 में किए गए प्रावधान के अधीन) सरकारी भूमि का क्षेत्रफल कम न हो ।

(9) स्थायी खसरा नंबर (PKN) प्रत्येक खसरे (पॉलिगन) को दिया जायेगा । RFP में 5.3.3.1 के बिंदु XV में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) प्रत्येक ऐसे खसरे (पॉलिगन) को दिया जाना है। इस विशिष्ट आईडी का उपयोग प्रत्येक भू- खसरे के साथ एकत्रित विशेषताओं के आंकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाएगा ।

21. ग्राउंड ट्रूथिंग प्रक्रिया के बाद निजी एजेंसी द्वारा तैयार किए गए नक्शे को भूमापक / पटवारी द्वारा जो गाँव उसको आवंटित किया गया है , 100 प्रतिशत सत्यापित किया जाएगा । इसके बाद नक्शे को क्रमशः 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के आधार पर सहायक भू अभिलेख- अधिकारी और अतिरिक्त भू अभिलेख-अधिकारी द्वारा अक्रमतः रूप से (Randomly) जांचा जाएगा । अक्रमतः (Random) जाँच के लिए पार्सल का चयन गाँव में अलग-अलग स्थानों से किया जाना चाहिए । पुन:जांच (Cross Verification) के बाद अधिकारियों की टिप्पणी एवं नक्शे के निचले भाग पर विधिवत् हस्ताक्षर किये जाएगें । यदि पुन:जांच (Cross Verification) के बाद नक्शा गलत पाया जाता है, तो पूरे गाँव को अमीन / पटवारी / इंस्पेक्टर / गिरदावर द्वारा पुन:सत्यापित और जाँच की जाएगी।

22. एक्सेल में क्षेत्र तुलनात्मक विश्लेषण पत्रक की तैयारी - प्रपत्र संख्या 5 में उल्लेखित विवरण के साथ खाते-वार और भू-खसरा वार की एक एक्सेल शीट तैयार की जाएगी । खाते-वार योग व खाता और खसरा दोनों स्तरों पर अन्तर का पता लगाने के लिए पंक्तियाँ (Rows) डाली जाएंगी । इसके बाद खाता और खसरा के स्तर के क्षेत्रफल को प्रतिशत में कॉलम 10 में क्रमबद्ध रूप से घटते क्रम में लिखा जायेगा । सभी अंतर/विविधताओं का विस्तृत कारण बताते हुए टिप्पणीयों के साथ दर्ज किया जायेगा ।

23. सर्वे/रिसर्वे कार्य के दौरान DGPS/RTK की मदद से तैयार खसरे (पॉलिगन) के क्षेत्रफल का वास्तविक माप अधिकार अभिलेख (RoR) में दर्ज किये गए भू-खसरा / खाता के क्षेत्रफल से भिन्न हो सकता है । ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्रफल भी वर्तमान के अधिकार अभिलेख (RoR) व नक़्शे (OCM) के संचयी क्षेत्रफल (Cumulative Area) से भिन्न हो सकता है । गाँव के क्षेत्रफल में ऐसे सभी विचलनों (Deviations) को संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमित किया जाएगा :-

(क) सहायक भू- अभिलेख अधिकारी और ग्राम स्तरीय समिति ऐसे सभी मामलों में निर्णय करेगी जिसमें गाँव के कुल क्षेत्रफल में अधिकार अभिलेख (RoR) और नक़्शे (OCM) से 2% तक अंतर आता है । ऐसे सभी मामलो में निर्णय ग्राम स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही लिया जायेगा ।

(ख) अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिसमे गाँव के कुल क्षेत्रफल वर्तमान अधिकार अभिलेख (RoR) और नक़्शे (OCM) से 2% ज़्यादा किन्तु 5% से अधिक अंतर नहीं आता है, पर निर्णय किया जायेगा । ऐसे सभी मामलों में ग्राम स्तरीय समिति की सिफ़ारिश के अनुसार निर्णय लिया जायेगा ।

(ग) अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार प्रस्ताव जिसमे गाँव के कुल क्षेत्रफल में वर्तमान रिकॉर्ड और नक़्शे से 5% से अधिक अंतर आता है तो ऐसे सभी मामलो में जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

ऐसे सभी प्रकरणों जहाँ जिले में ग्रामों की सीमाओं में अन्तर पाया जाता है, उन जिलों के सम्बंधित जिला कलेक्टर गठित समिति के अनुरूप गाँव की सीमाओं के साथ-साथ गाँव के क्षेत्रफल को अंतिम रूप देंगे। कलेक्टर ऐसे सभी मामलों के निस्तारण हेतु तहसीलदारों के साथ अपेक्षित राजस्व मशीनरी को नियुक्त कर सकते हैं ।

ऐसे सभी मामलो में जाँच और निर्णय के बाद उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के अंतिम प्रस्तावो को सम्बंधित अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किया जायगा ताकि नये अभिलेख में परिवर्तन किया जा सके ।

इसी प्रकार फार्म नंबर 5 में इंद्राज अनुसार खसरे (पॉलिगन) / समीप लगते हुए खसरों वाले खाते में पॉलिगन (Khata with Contiguous Polygons) के क्षेत्रफल में अंतर पाया जाता है तो सहायक भू - अधिकारी द्वारा तय किया जा कर निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार ऐसे क्षेत्रफल अंतर पर निर्णय किया जा सकेगा :-

(i). सिंचित भूमि के लिए

(क) जहाँ कोई भी खसरा (पॉलिगन) / समीप लगते हुए खसरों (पॉलिगन) वाले खातों (Khata with Contiguous Polygons) में खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर तक :- 5 प्रतिशत या 0.04 हेक्टेयर में जो अधिक हो ।

(ख) जहाँ कोई भी खसरे (पॉलिगन) / समीप लगते हुए खसरों (पॉलिगन) वाले खातों (Khata with Contiguous Polygons) में खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक एवं 2 हेक्टेयर तक :- 4 प्रतिशत तक ।

(ग) जहाँ कोई भी खसरे (पॉलिगन) / समीप लगते हुए खसरों (पॉलिगन) वाले खातों (Khata with Contiguous Polygons) में खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक एवं 5 हेक्टेयर तक :- 3 प्रतिशत तक ।

(घ) जहाँ कोई भी खसरे (पॉलिगन) / समीप लगते हुए खसरों (पॉलिगन) वाले खातों (Khata with Contiguous Polygons) में खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक एवं 10 हेक्टेयर तक :- 2 प्रतिशत तक ।

(च) जहाँ कोई भी खसरे (पॉलिगन) / समीप लगते हुए खसरों (पॉलिगन) वाले खातों (Khata with Contiguous Polygons) में खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक :-

0.2 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर के लिए और इसके अतिरिक्त 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए 1 प्रतिशत ।

(ii) गैर-सिंचित भूमि के मामले में भूमि को नियमित करने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय (Permissible) निर्धारित सीमा, सिंचित भूमि की अनुज्ञेय (Permissible) सीमा से दो गुणा तक उपखंड (i) में निर्दिष्ट भूमि की सीमा तक होगी ।

(iii) जहाँ किसी भी खसरे (पॉलिगन) /समीपवर्ती खसरों के खाता के क्षेत्रफल में खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अन्तर पाया जाता है तो उस अतिरिक्त भूमि को सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा ।

24. पर्चा नोटिस जारी होने से पहले फॉर्म न० 4 और फॉर्म न० 5 के विश्लेषण के दौरान देखी गई किसी भी विसंगतियों के बारे में व्यक्तिगत कृषकों से पूरी तरह से परामर्श किया जाएगा ।

25. अतिक्रमियों और मिलान क्षेत्रफल के अभिलेखन के लिए रजिस्टर -

(1) निजी भूमि पर काबिज अतिक्रमियों का एक रजिस्टर (जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 (44) में परिभाषित किया गया है) को फॉर्म 11 में निर्दिष्ट प्रारूप में तैयार किया जाएगा, साथ ही नक़्शे पर ऐसी सभी अतिक्रमित भूमि को हैचिंग (/////) के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा ।

(2) मैपिंग रजिस्टर (मिलान क्षेत्रफल) नए और पुराने नक्शे के बीच और अधिकार अभिलेख (RoR) फॉर्म 8 के अनुसार तैयार किया जाएगा ।

26. असर्वेक्षित भूमि, छोड़ी गई (Abandoned) और वर्तमान में जन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही भूमि के बारे में प्रक्रिया - फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 5 के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकार की भूमि का पता चलेगा, जो अधिनियम की धारा 115 के तहत आती हैं :-

(1) पहले से असर्वेक्षित भूमि - भूमि का वह हिस्सा / खसरा जो पहले से असर्वेक्षित है, उसका मौजूदा जमाबंदी के अनुसार कोई मालिक नहीं होगा ।

(2) छोड़ी गई (Abandoned) भूमि - भूमि का एक पार्सल, जिसका मौजूदा जमाबंदी के अनुसार मालिक मृत है या पता नहीं है और ना ही कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी ट्रेस करने योग्य है । यह भूमि या तो परती हो सकती है या संभवतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस भूमि को खेती के उपयोग में की जा सकती है, जिसका उस भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।

(3) वर्तमान में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि - वह भूमि जिसका मालिक OCM और जमाबंदी के अनुसार एक काश्तकार/खातेदार है, लेकिन इसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़कों, नहरों, पानी की टंकियाँ आदि अन्य का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है ।

27. ऐसी सभी भूमि/ज़मीनों को सूचीबद्ध करने की घोषणा उस क्षेत्र के व्यापक प्रसार वाले एक प्रतिष्ठित दैनिक हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से फॉर्म नंबर 6 में जारी किए जाएंगे

और पटवारी ग्राम पंचायत, तहसील और ए.एस.ओ. के कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए जाएंगे । इसे एक विशिष्ट वेब पोर्टल पर गांव के नक्शे के साथ भी प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें उद्घोषणा में शामिल प्रत्येक भू- खसरे को विशेष रूप से चिह्नि किया जाएगा ।

28. राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 115, 116 और 117 के अनुसार संबंधित सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को निर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावों को दायर किया जा सकता है जबकि धारा 116 की पालना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार असर्वेक्षित भूमि और छोड़ी गई (Abandoned) भूमि के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि के लिए धारा 117 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

29. पर्चा नोटिस का वितरण :-

(1) ड्राफ्ट पर्चा नोटिस प्रत्येक खातेदार के सभी काश्तकारो को फार्म नंबर 7 में वितरण किया जायगा । ये नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या निदेशक (Director) द्वारा अधिसूचित अधिनियम की धारा 60 में निर्दिष्ट तरीके से दिए जा सकते हैं । निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग नोटिस सभी रिकॉर्ड किए गए खातों पर दिए जाएंगे जिन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा और यदि कृषक संबंधित क्षेत्र के बाहर रहते हैं तो पंजीकृत डाक मय पावती के साथ भेजा जायेगा ।

(2) यदि किसी भी पक्ष से निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो, पर्चा नोटिस की सूचनाओं का समुचित वितरण, प्रविष्टि के सत्यापन के लिए माना जाएगा ।

30. पर्चा वितरण के बाद भूमि पार्सल खसरा का समेकन (Conslidation) निषेध होगा ।

31. आपत्तियों का निस्तारण :

(1) कोई भी आपत्ति निर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जा सकती है ।

(2) ये आपत्तियाँ पूर्व-निर्धारित तिथि और समय पर विशेषत: सरकारी भवन या गाँव में स्थित सुविधाजनक स्थान पर सुनी जायेगी । इस बैठक का आयोजन पर्चा वितरण से कम से कम 30 दिनों की अवधि के बाद आयोजित किया जाएगा । इन सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश कारणों के साथ अंकित किये जाएंगे ।

(3) पर्चा नोटिस में वर्णित विवरण के खिलाफ इच्छुक पार्टियों द्वारा दाखिल की गई आपत्तियोँ पर अधिनियम की धारा 111 के अनुसार निर्णय लिया जायगा ।

(4) पर्चा खतौनी में प्रत्येक प्रविष्टि को पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित सभी लोगों के सामने पढ़ा जाएगा । यदि उपस्थित लोगों से आपत्तियां प्राप्त की जाती हैं तो अधिनियम की धारा 111 या अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उन पर निर्णय लिया जाएगा ।

32. पर्चा खतौनी या मिसल बंदोबस्त फॉर्म नंबर 9 में रखा गया है और प्रत्येक राजस्व गांव का एक नया किश्तवार नक्शा तैयार किया जाएगा । मिसल बन्दोबस्त की तैयारी करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा :

(1) निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त, कॉलम 3 में प्रविष्टियाँ काफी हद तक उसी प्रकार होनी चाहिए जैसा कि अंतिम जमाबंदी में समतुल्य स्तंभ में दी गई हैं :-

(क) यदि कोई कृषक (खातेदार) का निधन हो गया है उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को एक विरासत नामांतरण (म्यूटेशन) के माध्यम से इंद्राज किया जाना चाहिए ।

(ख) यदि कोई कृषक (खातेदार) ने अपनी भूमि को छोड़ (Abandoned) कर दिया है और उसके ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सकता हो, अधिनियम की धारा 115, 116 और 117 में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उसकी भूमि को सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा ।

(ग) यदि किसी कृषक (खातेदारो) को सरकारी भूमि आवंटित की गई थी और उनके नाम अंतिम जमाबंदी में दर्ज नहीं है लेकिन उनके पास कानूनी रूप से वैध आवंटन आदेश है और वे उस जमीन पर काबिज हैं तो उनकी खातेदारी को नामांतरण (म्यूटेशन) के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।

(घ) यदि किसी भूमि का मालिक कृषक (खातेदार) है लेकिन वर्तमान में उस भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है तो धारा 115, 116 और 117 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संबंधित सरकारी विभाग का सही नाम दर्ज किया जाएगा ।

(ड०) यदि किसी कृषक (खातेदार) ने कानूनी तौर पर अपनी जमीन हस्तांतरित की है, तो नये खातेदार का नाम नामांतरण के बाद दर्ज किया जायेगा ।

(च) यदि दो कृषकों (खातेदारो) ने भूमि का अदला-बदली (Exchange) किया है तो सही खातेदार का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जमाबंदी में दर्ज किया जाएगा ।

(2) मिसल बन्दोबस्त में खाते की क्रमणिका राजस्थान भू- अभिलेख नियमवाली, 1957 के अनुसार होगा ।

(3) अधिकार अभिलेखों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कृषकों और सह -कृषकों के नाम आरोही क्रम में दर्ज किए जाएंगे ।

(4) भूमि वर्गीकरण वर्तमान धरातलीय वास्तविकता के अनुसार होना चाहिए ।

(5) सिंचाई के स्रोत वर्तमान धरातलीय वास्तविकता के अनुसार होने चाहिए ।

33. भू अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार सभी नक्शे, फील्ड बुक और अन्य रजिस्ट्रर इच्छुक पक्षकारों द्वारा निर्धारित ऑनलाइन वेबसाइट पर नि:शुल्क देखे या डाउनलोड किए जा सकेंगें।

34. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 के अनुसार तहसीलदार की सभी शक्तियाँ सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को भू-प्रबन्ध के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में दी जाती हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषकों को वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण / पुनः

सर्वेक्षण कार्यों के दौरान अधिनियम की धारा 53 के तहत खातों का विभाजन महत्वपूर्ण है । इसलिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

(1) ऐसे सभी मामलों में जहाँ सह- कृषक परस्पर रूप से खेत को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, खाते के बारे में सभी प्रासंगिक विवरण निर्धारित प्रारूप में भरे जाएंगे और नक्शे (LPM / NCM) खाते के विभिन्न विभाजनों को विभिन्न सह -कृषकों के अनुरूप रंग अलग-अलग प्रदर्शित करेंगे । निर्धारित प्रपत्र में इन सह -कृषकों के हस्ताक्षर के साथ ही गवाह भी शामिल होंगे। शामलाती रास्ता के मामले भी इसी तरह तय किए जाएंगे ।

(2) अधिकार अभिलेख (RoR) में कोई भी संशोधन धारा 136 के तहत किया जा सकता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषक की जाति में संशोधन के मामलों में, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी कृषक के स्वयं सत्यापित दस्तावेजों व पूछताछ के आधार पर सही जाति दर्ज करेगा।

(3) यदि ऐसे मामले देखे जाते हैं जिनमें उपखंड के बाद भूमि का क्षेत्रफल समान हैं लेकिन / जमीनी वास्तविकता भिन्न है (उदाहरण के लिए दो भाइयों द्वारा अपनी पैतृक जमीन को इस तरह से विभाजित किया हो सकता है जो अधिकार अभिलेख से भिन्न हो) तो ग्राउंड रियल्टी / जमीनी वास्तविकता को आपसी सहमति के आधार पर बनाए रखा जा सकता है ।

35. इन अभिलेखों की हार्ड प्रतियों को संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय / पटवार घर के सूचना पट्ट पर अंतिम और कानूनी रूप से प्रख्यापित(Promulgated) होने से पहले 15 दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा ।

36. नक्शों का प्रख्यापन (Promulgation), फील्ड बुक और अधिकार अभिलेख (RoR):

(क) नक्शों के अंतिम प्रारूप से पहले, फील्ड बुक्स (फॉर्म 10 में) और अधिकार अभिलेख (RoR) को प्रख्यापन (Promulgation) करने के लिए पुराने अधिकार अभिलेख (RoR) और पुराने ऑनलाइन किश्तवार मेप को ई-धरती और भू नक्शा वेब पोर्टल पर सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा लॉक किए जाएंगे। सभी लंबित नामांतकरण को बाद में तहसीलदार द्वारा तय किया जाएगा और जमाबंदी के अंतिम संस्करण और नक़्शे को डाउनलोड के लिए तैयार किया जाएगा ।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण गतिविधि संचालित होने के दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया/संस्करण में होने वाले सभी बदलावों को, घोषणा के लिए तैयार किए जा रहे संस्करण में शामिल किया जाएगा।

(ग) नक़्शे के प्रख्यापन (Promulgation) से पहले फील्ड बुक और अधिकार अभिलेख (RoR) की सॉफ्ट प्रतियां संबंधित अमीन/ पटवारी/ निरीक्षक और सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित की जाएंगी और फिर अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी । अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे कानूनी रूप से वैध माना जावेगा ।

(घ) इसकी एक कागजी प्रति भी तैयार की जायगी जिसे बिंदु (ग) के अनुसार हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया जाएगा जिसे अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा ।

(ङ०) नए प्रख्यापन (Promulgation) नक्शे और अधिकार अभिलेख (RoR) संबंधित तहसीलदार को अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी द्वारा अनुमोदन के समय उसी दिन एक निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

37. भू-नक्शा पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन मैप और ई-धरती वेब पोर्टल पर अधिकार अभिलेख को राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार सर्वे/रिसर्वे संक्रियाओं के दौरान तहसीलदार द्वारा अपडेट किया जाना जारी रहेगा ।

38. नियम 39 के अनुसार धरातलीय वास्तविकता के आधार पर भूमि वर्गीकृत की जाएगी और निम्नलिखित चार्ट के अनुसार स्पष्ट की जाएगी । एक एकल भू- खसरा का एकल वर्गीकरण होगा । आगे की श्रेणी में रखी गई एक भूमि को निदेशक द्वारा आवश्यक होने पर अधिसूचित किया जा सकता है। यदि भूमि वर्गीकरण में परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसके लिए रूपांतरण शुल्क देय हैं तो ऐसे सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी से रूपांतरण आदेश संलग्न किए जाएंगे । आदेश की प्रमाणित और सत्यापित प्रतियों के अभाव में, इस तरह के रूपांतरण / परिवर्तन को अमान्य माना जाएगा।

कृषि भूमि वर्ग	**विवरण**
चाही	Irrigated by well / tube-well
नहरी	Irrigated by canal
तालाबी	Irrigated by tanks / ponds
दीगरसिंचित	Irrigated by other sources
बारानी	Rain Fed
बंजड	Unculturable Land
ग़ैरमुमकिन	Non-Agricultural Uses to be listed as ग़ैरमुमकिन - Use
आबादी	Residential Use
कुआँ	Well or Tube-well
नहर	Irrigation canal
नदी	River
नाला	Rivulet / Nallah
जंगल	Forest
औद्योगिक	Industrial Use

वाणिज्यिक	Commercial Use
संस्था	Institutional Use
पहाड़	Hill / Mountain
शमशान	Cremation Ground
क़ब्रिस्तान	Burial Ground
मंदिर	Temple
मस्जिद	Mosque
गुरुद्वारा	Gurudwara
गिरजाघर	Church
धार्मिक भवन	Religious Building
सड़क	Road
रास्ता	Pathway
हवाईपट्टी	Airstrip
विद्यालय	School
खेल मैदान	Playground
सार्वजनिक भवन	Public Building
बाड़ा	Baada
रेलवे	Railway
तालाब	Pond / Tank
आगोर	Catchment Area
चरागाह	Pasture Land
औरण	Forest / Pastures associated with a Temple
ग़ैरमुमकिन अनधिकृत– Use	To be used for lands which are employed for non-agricultural purposes without proper authorisation of the law– e.g. for illegal residential colonies, the land classification will be ग़ैरमुमकिन- अनधिकृत आबादी

39. निदेशक इन दिशा निर्देशों के संचालन के संबंध में आवश्यक सूचना, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा ।

40. **<u>राजस्व एजेंसियों का समर्थन :</u>** उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों यथा नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक और पटवारी का सहयोग भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा इन सर्वे/रिसर्वे गतिविधियों तक ही सीमित नही रखा जायेगा बल्कि गाँव की सीमाओं के निर्धारण, कब्जे का अभिलेखन, पर्चा नोटिस का वितरण, आधार नंबर संग्रहण सहित आदि कार्यों में लिया जायेगा ।

41. **<u>ग्राम पंचायतों का सहयोग :</u>** ग्राम पंचायत के अधिकारियों जिसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारियों का सहयोग सर्वे/रिसर्वे गतिविधियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जनता से बातचीत के दौरान आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा ।

नोट: राजस्व विभाग द्वारा आबादी और चारागाह भूमि के संबंध में जारी महत्वपूर्ण परिपत्र / आदेश के लिए सुलभ संदर्भ हेतु नियमावली में उल्लेखित किए जाने हैं ।

टीकम चन्द बोहरा,
अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान जयपुर।

प्रयोजनवार प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों की सूची :

प्रपत्र न०	अधिनियम की धारा	नियम संख्या	गाइडलाईन संख्या	विवरण	अधिकारिकता
1	110(1)	15	13	उद्घोषणा	अतिरिक्त भू - अभिलेख अधिकारी
2	110(2)	16	13	उद्घोषणा	अतिरिक्त भू - अभिलेख अधिकारी
3	109		12 (2)	सर्वे पूर्व गतिविधियों का समापन प्रमाण पत्र	तहसीलदार
4	112	19	18	मौका सत्यापन रजिस्टर	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी
5	112	21	21	खाता क्षेत्रफल विश्लेषण तालिका	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी
6	115	24	26	धारा 115 की उद्घोषणा	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी
7	114	21	29	पर्चा नोटिस	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी

8	114(डी)		25(2)	मिलान क्षेत्रफल	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी
9	121 o 122	26	32	खतौनी(मिसल बंदोबस्त)	अतिरिक्त भू - अभिलेख अधिकारी
10	112	19	36	फील्ड बुक	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी
11	114(डी)		25 (1)	राजकीय भूमि पर अतिक्रमण रजिस्टर	सहायक भू - अभिलेख अधिकारी

प्रपत्र न० 1

(नियम 15 देखें)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110 की उपधारा (1)

के अधीन उद्घोषणा

चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं०15) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना से मार्जिन में निर्दिष्ट स्थान सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाही के अधीन रखा गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र के समस्त भू धारकों और आसामियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अधोहस्ताक्षरकर्ता का या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को गांवों की सीमाओं तथा उसमें स्थित खेतों की सीमाओं के सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित सहायता देने के लिए बाध्य हैं ।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक ..... को जारी की गई ।

अति० भू-अभिलेख अधिकारी

प्रपत्र न० 2

(नियम 16 देखें)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110 की उपधारा (2)

के अधीन उद्घोषणा

चूंकि विज्ञप्ति दिनांक .....द्वारा हासिये में निर्दिष्ट क्षेत्र के समस्त भूमि धारकों और आसामियों को, गांवों की सीमाओं और उसमें स्थित खेतों की सीमाओं के सर्वेक्षण कार्य में सहायता देने के दायित्व के लिये सूचित किया था, अब यह विज्ञप्ति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956(15ऑफ1956) की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाती है और भू-संपदाधिकारियों और आसामियों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह अपने ग्राम, भू-संपदा या खेती की सीमाओं को निश्चित करने हेतु निम्नलिखित सीमा चिह्न 15 दिन में खड़े कर लेवें । ध्यान रहे कि निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालना नहीं करने पर अति० भू-अभिलेख अधिकारी स्वयं उनके खर्चे पर सीमा चिह्न खड़े करवा देगा, जिसकी वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक .....सन्. को जारी की गई ।

(सीमा चिन्हों का विवरण दीजिए)

अति० भू-अभिलेख अधिकारी

प्रपत्र न० 3

तहसीलदार द्वारा सर्वे से पूर्व की जाने वाली गतिविधियों का प्रमाण पत्र

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 109 के अन्तर्गत)

(गाईडलाईन के बिन्दु सं० 12 को देखे)

1	2	3	4
क्रमांक	गतिविधियां	पटवारी हस्ताक्षर	भू-अभिलेख निरीक्षक हस्ताक्षर
1	समस्त मृत खातेदारों के वारिसों के नामान्तकरण खोले जा कर तस्दीक कर दिये हैं ।		
2	भू-नक्शा में लंबित सभी तरमीम दर्ज कर दी गई है ।		
3	न्यायलय के आदेश/डिक्री के नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक कर दिये गये हैं ।		
4	आर.टी.ए. की धारा 48 के प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर समस्त नामान्तरकण दर्ज किये जा चुके हैं ।		
5	एल.आर. अधिनियम की धारा 136 के प्रकरणों के समस्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिये गये हैं ।		

अंतिम नामान्तकरण : नम्बर :-..... दिनांकः-.....

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वे शुरू करने से पूर्व उपर्युक्त गतिविधियों को ग्राम....., जनगणना क्रमांक.....,पटवार सर्किल....., भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल....., तहसील....., जिला....., का उपर्युक्त कार्य कर लिया गया है ।

नाम.....

पद.....

दिनांक.....

प्रपत्र न० 4

भू-सर्वेक्षण पंजिका (ग्राउंड सर्वे रजिस्टर)

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 112 के अन्तर्गत)

(गाईडलाईन के बिन्दु सं०19 देखे)

ग्राम कोड..... ग्राम का नाम.....पटवार हल्का ..... भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ..... तहसील..... जिला.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
अस्थाई खसरा संख्या (TKN No.)	ख़सरा क्षेत्रफल	पुराना खाता संख्या	खातेदार(रों) का नाम	खातेदार(रों) के आधार न० (सहमति से)	खातेदार (रों) के मोबाई ल न०	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत के अस्थाई खसरा संख्या (TKN No.)	सार्वजनिक उपयोगिता, यदि कोई हो तो	विशेष विवरण

हस्ताक्षर भू-मापक/ पटवारी : हस्ताक्षर निरीक्षक :

प्रपत्र न० 5

खाता क्षेत्र विश्लेषण तालिका

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 112 के अन्तर्गत)

(गाईडलाईन के बिन्दु सं० 21 देखें)

ग्राम कोड..... ग्राम नाम.....पटवार हल्का..... भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त .....

तहसील ..... जिला.....

कालम न०	कालम का विवरण	विशेष विवरण
1.	गत खाता संख्या	वर्तमान जमाबंदी से लिया हुआ
2.	गत खसरा संख्या	सभी लेण्ड पार्सल (खसरे) जो इस खाते में हैं, वर्णित किए जाएंगे
3.	गत ख़सरा संख्या का भूमि वर्गीकरण	
4.	नवीन ख़सरा संख्या का भूमि वर्गीकरण	
5.	जमाबंदी (RoR) के अनुसार क्षेत्रफल (है०)	पुरानी जमाबंदी से
6.	पुराने नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल (है०)	मौजूदा डिजिटाईज्ड नक्शों का कम्प्यूटर द्वारा स्वगणित किया हुआ क्षेत्रफल
7.	अस्थाई ख़सरा संख्या (TKN)	
8.	स्थाई ख़सरा संख्या (PKN)	

9.	स्थाई ख़सरा संख्या का क्षेत्रफल (है०)	स्वगणित (Auto Calculated)
10.	नए लेंड पार्सल (ख़सरा) और जमाबंदी (RoR) के क्षेत्रफल का अंतर	कालम न० 9 - कालम न० 5
11.	नए लेंड पार्सल (ख़सरा) और पुराने लेण्ड पार्सल (ख़सरा) के क्षेत्रफल का अंतर	कालम न० 9 - कालम न० 6
12.	नए लेंड पार्सल (ख़सरा) और जमाबंदी (RoR) का प्रतिशत अंतर	(कालम न० 9 / कालम न० 5)*100%
13.	प्रतिशत अंतर का निरपेक्ष मूल्य (Absolute value)	कालम न० 12
14.	जमाबंदी (RoR) के अनुसार खातेदारों के नाम	
15.	क्षेत्रफल में आ रहे अंतर का कारण, पटवारी और भू-मापक की प्राथमिक चर्चा के अनुसार	
16.	ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing) के आधार पर निस्तारण	

भू-मापक / पटवारी निरीक्षक सहायक भू-अभिलेख एवं पदेन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी

नाम नाम नाम
हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर
दिनांक दिनांक दिनांक

प्रपत्र न० 6

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 115 (1956 के अधिनियम 15) के अधीन उद्घोषणा

(प्रपत्र 5 और नियम 28 देखें)

जहाँ तक भूमि की सूची निम्नलिखित ग्रामों में मौजूदा भूमि की सूची जिनका कोई कानूनन दावेदार नहीं हो, यह उद्घोषणा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 115 के तहत सभी को सूचित करती है। यदि कोई संलग्न सूची के ग्रामों पर कोई अपना अधिकार प्रस्तुत करता है तो उसे इस उद्घोषणा के 3 माह के भीतर अपना अधिकार पिटिशन के माध्यम से लिखित में प्रस्तुत करें ।

ध्यान रखा जावे की ऐसा कोई क्लेम यदि प्रस्तावित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं होता है तो संलग्न सूचि में वर्णित भूमि सरकारी सम्पति घोषित होगी ।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक .....सन्..... को जारी की गई ।

अति० भू- अभिलेख अधिकारी

दावा रहित भूमि की सूची ग्राम..... पटवार हल्का ..... भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ..... तहसील..... जिला.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.
स्थाई ख़सरा संख्या	गत ख़सरा संख्या (यदि कोई हो)	गत खाता संख्या (यदि कोई हो)	क्षेत्रफल	विवरण एवं प्रयोजन जिसके लिए भूमि काम में ली जाती हो	कब्जाधारी व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो

प्रपत्र न० 7

(भू. रा. अधिनियम 1956 की धारा 114 अन्तर्गत)

(प्रपत्र 4 व नियम 21 देखें)

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान

पर्चा नोटिस

पर्चा संख्या जारी करने की दिनाक

ग्राम का नाम: ग्राम कोड: पटवार हल्का : गिरदावर वृत्त:

तहसील: जिलाः वर्ष:

भूमि धारक का नाम- राजस्थान सरकार

पुरानाः खाता संख्या:

खातेदार का नाम 1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

गत जमाबंदी की प्रविष्टियां (दिन ... महीना --- वर्ष , समय)						सर्वेक्षण उपरांत प्रविष्टियां						
खसरा संख्या व खसरा का नाम	क्षेत्रफल (है०/बीघा)	सिंचाई के स्रोत	भूमि वर्गीकरण	लगान (रुपये)	विशेष विवरण	स्थायी खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है०)	परिमाप (मीटर में)	सिंचाई के स्रोत	भूमि वर्गीकरण	लगान (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल												

ड्राफ्ट खसरा आकृति

नोटः-

1. कृपया ये सुनिश्चित किया जाए कि आप नये सर्वेक्षण के उपरांत दिये गये विवरणों से संतुष्ट है । मौके पर धारित क्षेत्र की उपर्युक्त दी गई नापों से जांच कर सकते हैं ।

2. अगर उपर्युक्त विवरण में अशुद्धियाँ पायी जाती है या आपके द्वारा किसी अन्य बिन्दुओं पर आपत्ति है तो लिखित में ई-मित्र केन्द्र या नीचे वर्णित कार्यालय पर आपत्ति दिनांक ..... से पूर्व दर्ज करवा सकते हैं । आपत्ति पर सुनवाई दिनांक..... स्थान.... पर होगी । यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आप द्वारा उपर्युक्त विवरण स्वीकार कर लिया गया है और आपके भू-स्वामित्व की प्रविष्टि को उपर्युक्तानुसार सत्यापित कर लिया है ।

भू-मापक/पटवारी	निरीक्षक	सहायक भू-अभिलेख एवं पदेन सहायक भू प्रबंध अधिकारी
नाम	नाम	नाम
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
दिनांक	दिनांक	दिनांक
मो०न०	मो०न०	मो०न०

सहायक भू-अभिलेख एवं पदेन सहायक भू- प्रबंध अधिकारी के कार्यालय का पता-

'''ई-धरती/भू-नक्शा' के वेब-पोर्टल से जमाबंदी के प्राप्त करने की दिनांक व समय

प्रपत्र न० 8

मिलान क्षेत्रफल

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114(द) के अन्तर्गत)

(गाईडलाईन के बिन्दु सं० 25(2))

ग्राम....., जनगणना कोड..... , पटवार हल्का..... , भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त..... ,
तहसील....., जिला.....

प्रपत्र 8 अ

(नये खसरा संख्या की तुलना में गत संख्या एक या एक से अधिक खसरा संख्या और क्षेत्रफल)

1.	2.	3.	4.
नया ख़सरा संख्या	नये खसरे का क्षेत्रफल (है०)	पुराना ख़सरा संख्या	नये खसरे में पुराने खसरे का सम्मिलित क्षेत्रफल (है०)
	कुल		कुल

प्रपत्र 8 ब

(गत खसरा संख्या की तुलना में एक या एक से अधिक नये नम्बर)

1.	2.
गत ख़सरा संख्या	नये खसरे नंबर जो पुराने खसरे नंबर से बने हुये हैं

प्रपत्र न० 9

(गाडलाईन संख्या० 32 नियम 26 व प्रपत्र 7)

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 121 के अन्तर्गत)

मिसल - बन्दोबस्त

भूमि धारक - राजस्थान सरकार

ग्राम नाम: ग्राम कोड..... पटवार हल्का..... भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त..... तहसील..... जिला ..... वर्ष.....

प्रपत्र न० 9 अ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
पुराना खाता संख्या	पर्चा संख्या	खातेदार का नाम/ पिता का नाम/ जाति/ पता खातेदार/गैर-खातेदार	पुराना ख़सरा संख्या	क्षेत्रफल	परिमाप	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत (खसरा संख्या या प्रकार)	लगान की दर	लगान	विशेष विवरण

प्रपत्र न० 9 ब

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
नया खाता संख्या	पर्चा संख्या	खातेदार का नाम/ पिता का नाम/ जाति/ पता खातेदार/गैर-खातेदार	नया ख़सरा संख्या	क्षेत्रफल	परिमाप	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत (खसरा संख्या या प्रकार)	लगान की दर	लगान	विशेष विवरण

प्रपत्र न०10

फ़ील्ड बुक

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 112 के अन्तर्गत)

1.	2.	3.	4.	5.
ख़सरा संख्या	क्षेत्रफल	परिमाप	यू.टी.एम. निर्देशांक (c.s.v)	विशेष विवरण

प्रपत्र न० 11

खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण दर्शाने वाला रजिस्टर

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114(डी) के अन्तर्गत)

(गाईडलाईन के बिन्दु सं0 25/(1) देखे)

ग्राम कोड.... ग्राम नाम.....पटवार हल्का..... भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त..... तहसील.... जिला.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख़सरा संख्या	भूमि वर्गीकरण	खसरे का क्षेत्रफल	अतिक्रमी का नाम,आधार और मो०न०	अतिक्रमी का खाता संख्या	भू उपयोग जो काम में लिया जा रहा है	विशेष विवरण

अनुलग्नक 'अ'

मानक संचालन प्रक्रिया का प्रारूप पर चर्चा और तैयार करने के लिए आयोजित बैठकों की सूची

1. बैठक दिनांक 16.05.17 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
2. कार्यशाला दिनांक 04.08.17 को माननीय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में।
3. बैठक दिनांक 28.08.17 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
4. बैठक दिनांक 11.09.17 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
5. बैठक दिनांक 09.10.17 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
6. बैठक दिनांक 05.11.17 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
7. बैठक दिनांक 05.01.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
8. बैठक दिनांक 18.01.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
9. बैठक दिनांक 04.05.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
10. विडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 21.05.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
11. बैठक दिनांक 25.05.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।
12 बैठक दिनांक 06.06.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर।

13.कार्यशाला दिनांक 07.06.18 को माननीय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में, कृषि अनुसन्धान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर ।
14. बैठक दिनांक 13.07.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
15. बैठक दिनांक 18.07.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
16. बैठक दिनांक 25.07.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
17. बैठक दिनांक 01.08.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
18. बैठक दिनांक 08.08.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
19. बैठक दिनांक 13.08.18 को सचिव राजस्व की अध्यक्षता में ।
20. बैठक दिनांक 14.08.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
21. बैठक दिनांक 27.09.18 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय जयपुर ।
22. बैठक दिनांक 20.06.19 को इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर।
23. बैठक दिनांक 18.11.20 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय, जयपुर।
24. बैठक दिनांक 24.11.20 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय, जयपुर।
25. बैठक दिनांक 04.01.21 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय, जयपुर।
26. बैठक दिनांक 18.01.21 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय, जयपुर।
27. बैठक दिनांक 17.02.21 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

अनुलग्नक 'ब'

प्रासंगिक परिपत्र और आदेश

1 अधिनियम की धारा 136 की अधिसूचना प्रतिनिधि शक्तियों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों के लिए भू-प्रबन्ध अधिकारियों को 02-01-1997 को प्रदत करना ।

2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 एवं धारा 53 की शक्तियों और राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 24 एए और नियम 18 राजस्थान नियम (राजस्व बोर्ड) नियम 1955 की अधिसूचना प्रतिनिधि शक्तियों को उसके अधिकार क्षेत्र के तहत सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी अधिकारी को दिनांक 28-03-2000 को प्रदत करना ।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 1997

संख्या प.6(12)राज/6/92/1 :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956राजस्थान अधिनियम संख्या 15,1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा-136 के तहत भू-अभिलेख अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियो का प्रयोग सम्बन्धित भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उन क्षेत्रों मे किया जायेगा,जहां सर्वे तथा रेकार्ड कार्यवाही चल रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
एस.डी.
के०पी० सिंघल,
शासन उप सचिव।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 28, 2000

संख्या /क.5(19)राज-6/98/4 :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956(राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह निर्देश देती है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या-3 वर्ष 1955) की धारा 48 एवं 53 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24 एए एवं राजस्थान काश्तकारी राजस्वमण्डल नियम, 1955 के नियम 18 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग उन्हीं क्षेत्रो मे जहा सर्वेएवं भू-अभिलेख का कार्य चल रहा है वहां सम्बन्धित सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग मे लिया जायेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
एस.डी.
शिव कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।